राजस्थान स्टेट पॉवर फाइनेंस एण्ड फाइनेन्सियल सर्विसज कॉरपोरेशन लिमिटेड

वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन 2015-16

वार्षिक
प्रशासनिक प्रतिवेदन
2015-16

राजस्थान स्टेट पॉवर फाइनेंस एण्ड फाइनेन्सियल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड

1, बजाज नगर एनक्लेव, गांधी नगर रेलवे स्टेशन के पास,
जयपुर (राजस्थान) 302 015

अनुक्रमणिका

विवरण	पृष्ठ संख्या
कॉरपोरेशन : एक परिचय	1
• प्रस्तावना	2
• गठन	3
• उद्देश्य	4
• रूपरेखा	4
• प्रस्तावित संसाधन	5
• निदेशक मण्डल	
वित्तीय परिदृश्य	6
• बजट आवंटन	
उपलब्धियाँ एवं गतिविधियाँ	7
• प्रगति	8
• पदों का सृजन	9
• सेवा एवं भर्ती नियम	9
• प्रचार–प्रसार	
	10
दूरभाष निर्देशिका	
	11
कॉरपोरेशन पंजीकरण प्रमाण पत्र	
	12
गैर–बैंकिंग वित्तीय संस्था पंजीकरण	

प्रस्तावना

राज्य की वर्तमान 5 विद्युत कम्पनियों को वित्त उपलब्ध करवाने हेतु राजस्थान स्टेट पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन का गठन मंत्रीमण्डल की आज्ञा संख्या 199/2012 दिनांक 04.10.2012 के द्वारा किया गया था।

इस निगम द्वारा विद्युत कम्पनियों को धन उपलब्ध करवाने हेतु मुद्रा बाजार (Money Market) से धन राशि लेनी थी। इस प्रकार निगम द्वारा गैर बैकिंग वित्तीय कम्पनी (Non Banking Financial Company) के रूप मे कार्य किया जाना था, जिसके लिए निगम द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से गैर बैंकिग वित्तीय कम्पनी (NBFC) का प्रमाण पत्र दिनांक 24.07.2013 को लिया गया।

राजस्थान स्टेट पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड का गठन राज्य की विद्युत वितरण कम्पनियों को सस्ता ऋण उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से किया गया था। इस कॉरपोरेशन को वित्तीय संस्थानों द्वारा सरलता से ऋण दिया जावें, इसके लिए राज्य के विभिन्न उपक्रमो के पास उपलब्ध अधिशेष भूमि राजस्थान स्टेट पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन को उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया गया था, जिससे इसका सम्पत्ति आधार (Asset Base) बन सकें। इस कॉरपोरेशन का आधार का पुनः परिक्षण करने पर पाया कि किसी भी कॉरपोरेशन का केवल सम्पत्ति आधार (Asset Base) देखकर ही वित्तिय संस्थानों द्वारा ऋण नहीं दिया जाता। यह भी उल्लेखनीय है कि राज्य के विभिन्न उपक्रमों के पास उपलब्ध अधिशेष भूमि का हस्तांतरण भी आसान नहीं था। अतः कॉरपोरेशन के गठन के आधार को आर्थिक एवं तार्किक दृष्टि से उपयुक्त नहीं पाया गया। इस कारण से इस निगम के संचालन का आधार बदलने एवं निगम के पुर्नगठन करने का निर्णय लिया गया।

मंत्रीमण्डल की आज्ञा संख्या 196/2015 दिनांक 14.10.2015 द्वारा इस पुर्नगठित निगम का नाम राजस्थान स्टेट पावर फाइनेंस एण्ड फाइनेन्सियल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड कर दिया गया है।

राज्य के विभिन्न राजकीय उपक्रमों उनके पास उपलब्ध अधिशेष धनराशि को राजस्थान स्टेट पावर फाइनेंस एण्ड फाइनेन्सियल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के पास जमा कर सकेंगे। इस जमा राशि पर उन्हें प्रतिस्पर्धात्मक दर पर ब्याज उपलब्ध होगा। राजस्थान स्टेट पावर फाइनेंस एण्ड फाइनेन्सियल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के पास उपलब्ध धनराशि को राज्य सरकार के उपक्रमों को उनकी आवश्यकता होने पर लघु अवधि का ऋण, बाजार दर से कम ब्याज दरों पर उपलब्ध करवाया जा सकेगा।

गठन

राज्य के मंत्रिमण्डल की आज्ञा संख्या 199/2012 दिनांक 3 अक्टूबर, 2012 के द्वारा राजस्थान स्टेट पॉवर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड जयपुर के क्रियान्वयन हेतु प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गई। तदुपरांत, कॉरपोरेशन का पंजीयन दिनांक 21 दिसम्बर 2012 को पब्लिक लिमिटेड कम्पनी (Public Limited Company) के रूप में कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत हुआ ।

कम्पनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45 झ क के प्रावधान के तहत् गैर–बैकिंग वित्तीय संस्था (Non-Banking Financial Institution) के रूप में कार्य करने का पंजीकरण प्रमाण पत्र (Certificate of Registration) दिनांक 24.07.2013 को जारी किया गया।

राज्य के मंत्रीमण्डल की आज्ञा संख्या 196/2015 दिनांक 14.10.2015 द्वारा राजस्थान स्टेट पॉवर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड जयपुर को पुनर्गठित कर निगम का नाम राजस्थान स्टेट पावर फाइनेंस एण्ड फाइनेन्सियल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड कर दिया गया है। इस अनुसरण में कम्पनी अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत कम्पनी का नवीन नाम दिनांक 05.01.2016 को पंजीकृत किया जा चुका है।

उद्देश्य

- राज्य सरकार द्वारा निगम को उपलब्ध अंशपूँजी (Equity) एवं राजकीय उपक्रमों की अधिशेष धनराशि का राज्य के अन्य उपक्रमों को ऋण उपलब्धता हेतु अधिकतम उपयोग किया जाना।
- जिन राजकीय उपक्रमों को धनराशि (Funds) की आवश्यकता हो उन्हें सस्ता ऋण उपलब्ध कराना।
- राजकीय उपक्रमों की धनराशि (Funds) हेतु बैंको पर निर्भरता मे कमी लाना। राजकीय उपक्रमों को ऋण उपलब्ध करवाकर राजकीय प्रत्याभूति (Government Guarantees) पर ऋणों की निर्भरता में कमी लाना।
- राजकीय विद्युत उत्पादन, प्रसारण अथवा वितरण कम्पनियों को केबल्स, ट्रांसफॉरमर्स, कन्डक्टर्स, उपकरण, मशीनरी, भवन, वाहन, भूमि, बिजली इत्यादि के क्रय हेतु वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराना।
- राज्य में स्थापित राजकीय विद्युत कम्पनियों द्वारा जारी किये जाने वाले बॉण्ड्स हेतु प्रत्याभूति देना।
- उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु ऋणों, बॉण्डस्, शेयर्स अथवा पूँजी निवेश के माध्यम से वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराना।
- विद्युत परियोजनाओं से जुड़ी हुई गतिविधियों जैसे कोयला एवं अन्य खनन इत्यादि, जिसका उपयोग राजकीय परियोजनाओं में विद्युत उत्पादन में ईंधन के रूप में किया जाता है, हेतु वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराना है।
- राजकीय विद्युत कम्पनियों हेतु आवश्यक अध्ययन सम्पादित करवाना एवं परामर्शीय सेवाएँ उपलब्ध कराना।
- विद्युत उत्पादन/प्रसारण/वितरण/संरक्षण की परियोजनाओं की राजकीय विद्युत कम्पनियों द्वारा स्थापना, संचालन एवं रख रखाव हेतु प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से अथवा अन्य वित्तीय संस्थानों की साझेदारी में अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन वित्तीय संसाधन को उपलब्ध कराना।

रूपरेखा

- राजस्थान स्टेट पॉवर फाइनेंस एवं फाइनेन्सियल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड राज्य सरकार की एक पूर्णतया गैर–बैकिंग वित्तीय कम्पनी (Non Banking Financial Company) है, जिसकी अधिकृत पूंजी रु. 250 करोड़ है एवं निर्गमित (issued) व अभिदत्त (subscribed) पूँजी रू. 90 करोड़ है।
- राजस्थान स्टेट पावर फाइनेंस एवं फाइनेन्सियल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड का प्रशासनिक विभाग, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार है।
- प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, कम्पनी के पदेन अध्यक्ष है एवं विशिष्ट शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग, कम्पनी के पदेन प्रबन्ध निदेशक है।

प्रस्तावित संसाधन

राज्य के विभिन्न उपक्रमों के पास पर्याप्त अधिशेष राशि समय समय पर उपलब्ध होती है, जिसे वे बैंकों में सावधि जमा (Fixed Deposit) के रूप मे विनियोजित कर ब्याज अर्जित करते है। कुछ ऐसे भी राजकीय उपक्रम हैं, जिनके पास अपनी गतिविधियां चलाने के लिए अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है तथा उन्हें न तो बैंक एवं न ही अन्य वित्तीय संस्थान ऋण उपलब्ध करवाने के लिए तैयार होते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ निगमों को बैंक से उच्च दरों पर ऋण उपलब्ध करवाये जाने हेतु भी राज्य सरकार को बैंक गारंटी दिया जाना आवश्यक होता है। इन समस्याओं के हल हेतु राज्य के विभिन्न उपक्रमों/निगमों/संस्थानों के पास उपलब्ध अधिशेष धनराशि के बेहतर उपयोग के आधार पर राज्य के अन्य संस्थानों को सहायता उपलब्ध कराई जा सकती है।

विभिन्न निगमों की अधिशेष धनराशि के वित्तीय प्रबंधन हेतु भारतीय रिर्जव बैंक से नॉन बैंकिग फाइनेंस कम्पनी (NBFC) का पंजीकरण आवश्यक होता है

और राजस्थान स्टेट पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के पास पहले से ही NBFC पंजीकरण उपलब्ध है। इसी उद्देश्य से राजस्थान स्टेट पॉवर फाइनेंस एवं फाइनेन्सियल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड का पुर्नगठन किया गया है जिससे राज्य के राजकीय उपक्रमों के पास उपलब्ध अधिशेष धनराशि (Surplus Funds) का बेहतर प्रबन्धन किया जा सके, तथा राज्य के उन उपक्रमों जिन्हे धनराशि (Funds) की आवश्यकता है, उन्हे बाजार दर की तुलना मे कम ब्याज दर पर राशि उपलब्ध करवाई जा सके।

निदेशक मण्डल

कम्पनी के संचालन हेतु निदेशक मण्डल का गठन किया गया है। कम्पनी के प्रथम निदेशक मण्डल में प्रमुख शासन सचिव, (वित्त) अध्यक्ष तथा निदेशक मण्डल में आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, शासन सचिव, वित्त (राजस्व), शासन सचिव, वित्त (व्यय) तथा विशिष्ट शासन सचिव, वित्त (बजट), प्रबन्ध निदेशक सम्मिलित हैं। वर्तमान में कम्पनी का निदेशक मण्डल इस प्रकार हैः—

- **श्री प्रेम सिंह मेहरा**, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग
- **श्री प्रवीण गुप्ता**, शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग
- **श्री टी. रविकान्त**, आयुक्त वाणिज्यिक, कर विभाग
- **श्री सुरेश चन्द्र दिनकर**, शासन सचिव, वित्त (व्यय) विभाग
- **श्री सिद्धार्थ महाजन**, विशिष्ट शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग
- **श्री कुंज बिहारी गुप्ता**, महानिरीक्षक, पंजीयक एवं मुद्रांक विभाग, अजमेर

बजट 2015-16

(रू. लाखों में)

प्राप्तियाँ		बजट प्रावधान	प्राप्तियाँ (31.12.2015)
I	**राजस्व**		
1.	ब्याज से प्राप्तियाँ	16.50	8.14
2.	निवेश से प्राप्त ब्याज	600.00	552.30
3.	अनुदान	00.00	0.00
	योग:	**616.50**	560.44
II	**पूँजी**		
1.	राजकीय अंश	00.00	00.00
2.	बॉण्ड उत्थापन	00.00	00.00
	योग:	**00.00**	00.00
	कुल योग:	**616.50**	560.44

व्यय		बजट प्रावधान	व्यय (31.12.2015 तक)
I	**राजस्व**		
1.	प्रशासनिक एवं स्थापना व्यय	88.50	40.23
2.	वित्त व्यय बॉण्ड उत्थापन व्यय सहित	1.00	00.00
3.	बॉण्ड प्रक्रिया पर अन्य व्यय	1.00	00.00
4.	अनुसंधान एवं विकास व्यय	400.00	00.00
	योग:	**490.50**	40.23
II	**पूँजी**		
1.	भूमि बैंक	00.00	00.00
2.	फर्नीचर	1.00	00.00
3.	कार्यालय उपकरण	1.00	00.15
4.	ऋण बिजली कम्पनी को	500.00	00.00
	योग:	**502.00**	00.15
	कुल योग:	**992.50**	40.38

प्रगति

राजस्थान स्टेट पॉवर फाइनेंस एवं फाइनेन्सियल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के पुनर्गठन हेतु कम्पनी अधिनियम 2013 के अन्तर्गत कम्पनी का नवीन नाम दिनांक 05.01.2016 को पंजीकृत करा दिया गया है। कम्पनी के मेमोरेन्डम में नए उद्देश्य जोड़ दिए गए हैं एवं उनका पंजीकरण रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज़ में करा दिया गया है।

विद्युत वितरण निगमों को ऋण :

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनी के रूप में कार्यकलाप के लिये जारी अनुज्ञापत्र की एक शर्त के अनुसार कम्पनी को अनुज्ञापत्र को जारी होने की तिथि से 6 माह में अपने कार्यकलाप प्रारम्भ किये जाना आवश्यक है। इस शर्त की पालना सुनिश्चित करने की दृष्टि से राज्य के तीनों वितरण निगमों को 0.50 – 0.50 करोड़ रूपये का ऋण जारी किया गया है।

अनुदान :

नगर पालिका क्षेत्रों में ऊर्जा की बचत करने वाली street light से संबंधित अन्वेषण एवं विकास परियाजनाओं के लिए कंपनी द्वारा राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड को 3.00 करोड़ की अनुदान राशि जारी की गई। भारत सरकार के पावर ग्रिड कॉरपोरेशन द्वारा पश्चिमी राजस्थान में अक्षय ऊर्जा से संभावित पॉवर सिस्टम प्रारुप तैयार करने के लिए अध्ययन करने हेतु 55.00 लाख रुपये की राशि राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड को अनुदान सहायता के रूप में जारी की गई। राज्य में Sample Energy Audit हेतु विद्युत वितरण कम्पनियों को रूपये 86.00 लाख की अनुदान राशि जारी की गई।

पदों का सृजन/कार्यरत कार्मिक

कॉरपोरेशन के कार्य को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा 65 पदों का सृजन किया गया है, कॉरपोरेशन के पुनःसंरचना के पश्चात् कुल पदों की संख्या 32 कर स्वीकृत की गयी है। इन स्वीकृत पदों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार हैः

क्र.सं.	पद विवरण	पदों की संख्या
1.	प्रतिनियुक्ति	25
2.	विशेष चयन	06
3.	सीधी भर्ती	01

इसके उपरान्त भावी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त पदों के सृजन के लिए कम्पनी के अध्यक्ष की सहमति से प्रबन्ध निदेशक को अधिकृत किया गया है।

1. प्रतिनियुक्ति के 25 पदों के विरूद्ध निम्नांकित पदों पर अधिकारी / कर्मचारी कार्यरत हैः—
   - महाप्रबन्धक (क्रेडिट) — अतिरिक्त कार्यभार
   - महाप्रबंधक (वित्त) — अतिरिक्त कार्यभार
   - महाप्रबन्धक (सिस्टम्स) — अतिरिक्त कार्यभार
   - उपप्रबन्धक लेखा (लेखाधिकारी) — अतिरिक्त कार्यभार
   - सहायक प्रबन्धक (कनिष्ठ अभियन्ता)
   - सहायक प्रबन्धक (सहायक लेखाधिकारी)
2. विशेष चयन से भर्ती के लिये सृजित पदों में से अभी किसी पद पर भर्ती नहीं की गई है।

3. सीधी भर्ती के लिये सृजित एक मात्र पद पर श्रीमती प्रेरणा गुप्ता कम्पनी सचिव के पद पर कार्यरत है।

4. उक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित पदों पर सेवानिवृत अधिकारी कार्यरत है:–

- मुख्य सलाहकार (बैंकिंग)
- मुख्य सलाहकार (विधि)
- सलाहकार (प्रशासन)
- सलाहकार (सैकेट्रियल)

सेवा एवं भर्ती नियम

वर्तमान में विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती, विशेष चयन एवं प्रतिनियुक्ति/पुनः नियुक्ति के माध्यम से पदों को भरने, इन पदों पर कार्य करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवा को नियंत्रित करने, उन्हें विभिन्न प्रकार के भत्ते आदि स्वीकृत करने, स्टोर के क्रय एवं संधारण, कार्यालय की प्रक्रिया एवं पद्धति आदि के संबंध में वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियम लागू है।

प्रचार–प्रसार

राजस्थान स्टेट पॉवर फाइनेंस एण्ड फाईनेन्सियल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड जयपुर, राजस्थान सरकार के उपक्रम के रूप में स्थापित की गई है एवं कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय बजाज नगर, जयपुर में स्थित है।

इसी क्रम में कम्पनी की वेबसाइट ***rspfcl.rajasthan.gov.in*** स्थापित की गई है। वेबसाइट पर उपक्रम के विभिन्न कार्यकलापों की जानकारी, उपक्रम द्वारा जारी की जाने वाली निविदा, भर्ती सम्बन्धी जानकारियाँ उपलब्ध कराई गई है। वेबसाइट पर समय समय पर नवीनतम जानकारियाँ उपलब्ध करायी जा रही है।

दूरभाष निर्देशिका

क्र.सं.	नाम	पद	सम्पर्क नम्बर
1.	श्री पी.एस.मेहरा, आईएएस	अध्यक्ष एवं प्रमुख शासन सचिव (वित्त)	0141-2227664
2.	श्री सिद्धार्थ महाजन, आईएएस	प्रबंध निदेशक एवं विशिष्ठ शासन सचिव (बजट)	0141-2227934
3.	श्री श्रीकृष्ण शर्मा	महाप्रबंधक (वित्त) सह मुख्य वित्तीय अधिकारी	0141-2227468
4.	श्री राम गोपाल पारीक	महाप्रबंधक (क्रेडिट)	0141-2385753
5.	श्री अकुल भार्गव	महाप्रबंधक (सिस्टम्स)	0141-2227094
6.	श्रीमती प्रेरणा गुप्ता	कम्पनी सचिव	0141-2708611
7.	श्री मोहन लाल सैनी	लेखाधिकारी	0141-2708611
8.	श्री पंकज जांगिड	कनिष्ठ अभियंता	0141-2708611
9.	श्री सरदार मल यादव	सहायक लेखाधिकारी (ग्रेड–II)	0141-2708611

कॉरपोरेशन पंजीकरण प्रमाण पत्र

सत्यमेव जयते

GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

Registrar of Companies, Jaipur

G/6-7 , Second Floor , Residency Area , Civil Lines Jaipur - 302001, Rajasthan, INDIA

Certificate of Incorporation pursuant to change of name

[Pursuant to rule 29 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014]

Corporate Identification Number (CIN): : U65923RJ2012SGC041087

I hereby certify that the name of the company has been changed from RAJASTHAN STATE POWER FINANCE CORPORATION LIMITED to RAJASTHAN STATE POWER FINANCE AND FINANCIAL SERVICES CORPORATION LIMITED with effect from the date of this certificate and that the company is limited by shares.

Company was originally incorporated with the name RAJASTHAN STATE POWER FINANCE CORPORATION LIMITED

Given under my hand at Jaipur this Fifth day of January Two Thousand Sixteen.

Signature valid

Digitally signed Ministry of Corp... - Govt of India
Date: 2016...06 15:04:50 GMT+05:30

IMRAN AHMAD SIDDIQUI

Registrar of Companies

Registrar of Companies

Jaipur

Mailing Address as per record available in Registrar of Companies office:

RAJASTHAN STATE POWER FINANCE AND FINANCIAL SERVICES CORPORATION LIMITED

PLOT NO.1 BAJAJ NAGAR ENCLAVE, NEAR GANDHI NAGAR RELWAY STATION,

JAIPUR - 302015,

गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था पंजीकरण

भारतीय रिज़र्व बैंक

गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग

जयपुर क्षेत्रीय कार्यालय

RESERVE BANK OF INDIA

DEPARTMENT OF NON-BANKING SUPERVISION

JAIPUR REGIONAL OFFICE

पंजीकरण प्रमाण पत्र

CERTIFICATE OF REGISTRATION

(जनता की जमाराशियां स्वीकार करने के लिए वैध नहीं)

(Not valid for accepting Public Deposits)

संख्या No. B.10.00226 'NBFC-ND-NEW'

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 झ क के द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान स्टेट पॉवर फाइनेन्स कारपोरेशन लिमिटेड को

दूसरी तरफ दी गयी शर्तों पर जनता से जमाराशियां स्वीकार किये बिना गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार प्रारंभ करने / करते रहने के लिए यह

पंजीकरण प्रमाण पत्र

जारी किया गया।

In exercise of the powers conferred on the Reserve Bank of India by Section 45 IA of the Reserve Bank of India Act, 1934

RAJASTHAN STATE POWER FINANCE CORPORATION LIMITED

is hereby granted

Certificate of Registration

to commence / carry on the business of non-banking financial institution without accepting public deposits subject to the conditions given on the reverse.

मेरे हस्ताक्षर के अधीन जुलाई दो हजार तेरह की चौबीस तारीख को जारी किया गया।

Given under my hand at JAIPUR

ON this TWENTY FOURTH day of JULY Two Thousand THIRTEEN

S. Sh

(~~महा प्रबंधक~~ / उप महा प्रबंधक)

~~General Manager~~ / Deputy General Manager

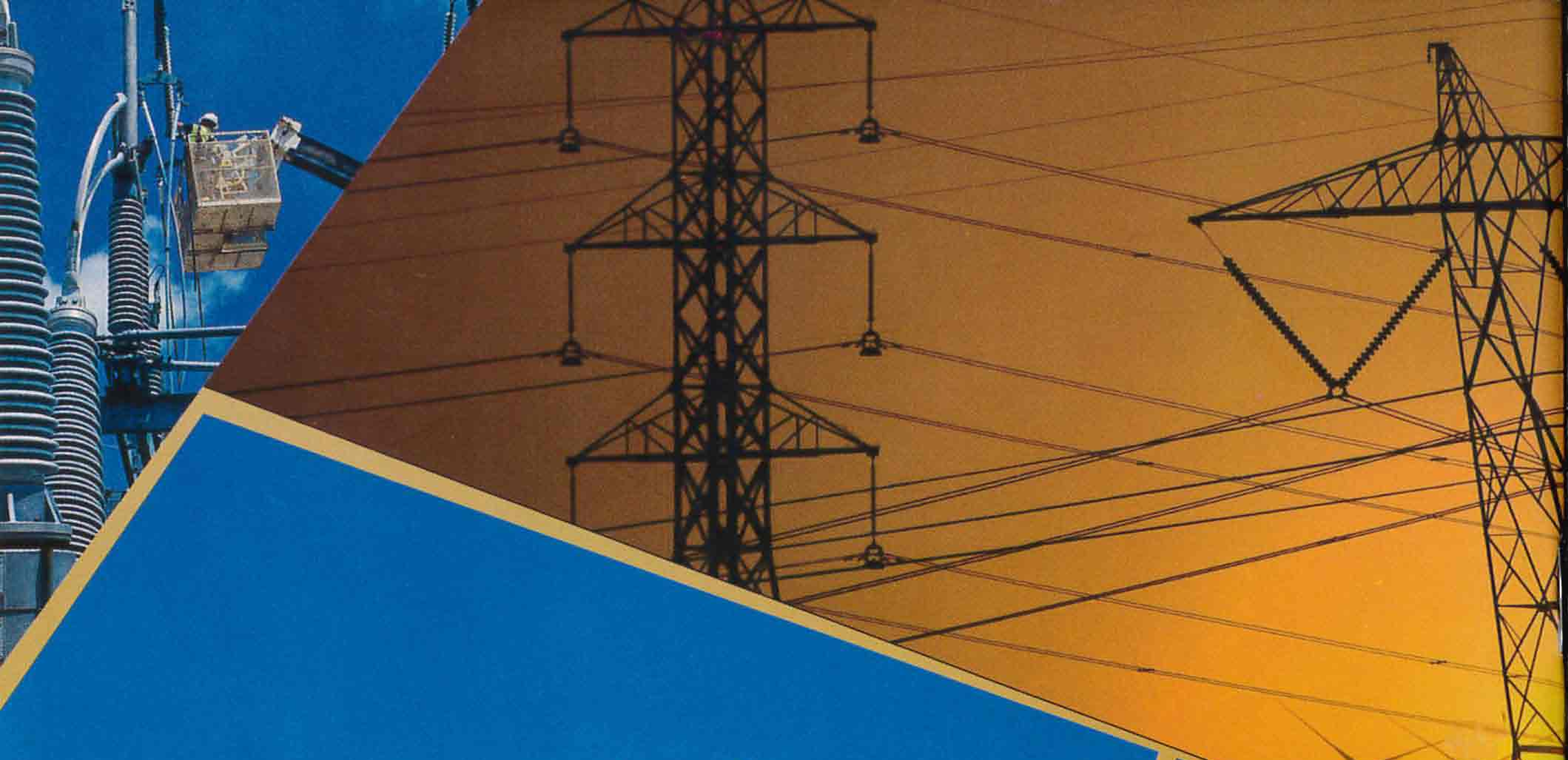

पंजीकृत एवं प्रशासनिक कार्यालयः

राजस्थान स्टेट पॉवर फाइनेंस एण्ड फाइनेन्सियल सर्विसज कॉरपोरेशन लिमिटेड

1, बजाज नगर एनक्लेव, गांधी नगर रेलवे स्टेशन के पास,
जयपुर (राजस्थान) 302 015

दूरभाषः 91-141-2708611, ईमेलः rspfcl@rajasthan.gov.in

Visit us at: rspfcl.rajasthan.gov.in